



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०), ललितपुर।
उपस्थित — नीरज कुमार महाजन , उच्चतर न्यायिक सेवा,
जे. ओ. कोड़ - UP 2673
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 919 वर्ष 2026,

मुलु तनय हल्के कुशवाहा निवासी ग्राम बछलापुर थाना पाली जिला ललितपुर।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य

...अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या 761/2022
अंतर्गत धारा 138(1)(b) Electricity Act
थाना एण्टी पॉवर थेफ्ट ललितपुर, जिला ललितपुर।

आदेश

10-07-2026:

अभियुक्त मुलु तनय हल्के कुशवाहा की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र विशेष सत्र परीक्षण संख्या 1799/2025, उ.प्र. राज्य प्रति मुलु अन्तर्गत धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम, थाना एंटी पावर थेफ्ट ललितपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पुकारा गया । कोई उपस्थित नहीं । न ही अभियुक्त की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.07.2026 को अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । जिसके आधार पर अभियुक्त को सशर्त अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था कि अभियुक्त अग्रिम नियत तिथि 10.07.2026 को न्यायालय में उपस्थित आकर आत्मसमर्पण करेगा । अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2026 को सुनवाई हेतु नियत था किन्तु अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। अभियुक्त के द्वारा अन्तरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मुलु तनय हल्के कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्त मुलु तनय हल्के कुशवाहा के विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी हो ।

(नीरज कुमार महाजन),
अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
(आवश्यक वस्तु अधि०),

ललितपुर।